

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 72/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/झाला.
दायरा दिनांक: 27.7.2016
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. अशोक आत्मज ताराचंद जाति भील
2. किशोर आत्मज ताराचंद जाति भील
3. रमेश आत्मज ताराचंद जाति भील
4. शांतिलाल आत्मज ताराचंद जाति भील
5. राधाबाई बेवा ताराचंद जाति भील
निवासीगण गुढा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड-राज0।

... अपीलार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र देवबाई जाति भील
2. भैरी बाई पुत्री देवबाई जाति भील
निवासीगण झिरनिया तहसील झालरापाटन जिला झालावाड-राज0।
3. प्रेमचंद पुत्र मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम गुढा।
4. मुन्नीबाई पुत्री मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम गुढा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड-राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड-राज0।

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री बी0 के0 मंत्री अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभि0 रेस्पोंड कम-4



...निर्णय...

दिनांक 22.3.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 66/अपील/14 बउनवान अशोक वगेरा बनाम रामलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 10.5.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थीगण ने ग्राम गुढा तहसील झालरापाटन के माल की खाता सं0 14 की 10 किता आराजी रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा का तहसीलदार झालरापाटन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 26.12.2011 कानून के खिलाफ एवं बिना कब्जे की तहकीकात के विधि

दिनांक 22.3.2018

विरुद्ध तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर नामा० निरस्त करने हेतु अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 10.5.2016 से खारिज की गई जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय के साथ पेश की गई कि देवबाई बेवा कंवरलाल के दिनांक 4.9.2008 को फौत होने उपरांत रामलाल ने नामा० सं० 73 दिनांक 26.12.2011 तस्दीक करा कर विवादित भूमि में स्वयं रामलाल का 1/3 व भेरीबाई रेस्पो० नं० 2 का 1/9 हिस्सा दर्ज करा लिया जो गलत मनमानी, परवर्स तथा केप्रिसियस होने से अपास्त योग्य है जबकि उसका विवादित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा जबकि वास्तविक रूप से भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पो० क्रम-5 ने बिना कब्जे को देखे एवं तहकीकात किये नामा० सं० 73 तस्दीक कर दिया जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पो० क्रम-1 व 2 तथा उसकी बहन रामकन्या ने एस०डी०ओ० झालावाड में एक राजस्व वाद नम्बर 447/12 रामलाल बनाम प्रेमचंद वगेरा अपीलांट के खिलाफ किया था जो दिनांक 6.1.2014 को खारिज हो गया। रामकन्याबाई ने उसका हिस्सा नामा० सं० 73 में गलत तौर से दर्ज करवा लिया था उसकी रिलीज डीड अपीलांट अशोक के नाम रामकन्या ने पंजीयन करादी जो काबिल गौर है। फरीकेन जाति से भील है जिन पर हिन्दू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इस कारण पुत्रियों का पिता के खाते की आराजी में हक अधिकार नहीं है इस कारण देवबाई का नाम ही खाते में गलत दर्ज हुआ जिसका लाभ उठाते हुये रामलाल तथा भेरी बाई ने अपने पक्ष में इंतकाल तस्दीक करवा लिया जबकि इनका विवादित भूमि में कभी कब्जा नहीं रहा। रामलाल रेस्पो० क्रम-1 व कन्याबाई उर्फ रामकन्या को नाबालिग वली देवबाई बेवा कंवरलाल भील बताकर झिरनियां के माल की आराजी ख० नं० 165 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 30.6.2006 को मोहनलाल वल्द रोडू के नाम कर दिया जबकि इस बैयनामे पर रामलाल व कन्याबाई ने सहमति के हस्ताक्षर किये जबकि उक्त भूमि में रामलाल की बड़ी बहन भेरी का भी हक था रामलाल व भेरी बाई की तरफ से दावा भी किया गया जो दिनांक 6.1.2014 को खारिज हो चुका है। भेरी बाई का कभी खाते में नाम नहीं रहा रजिस्टर्ड बयनामा मोहनलाल के पक्ष में करया गया उसमें भी भेरीबाई का नाम नहीं है इस कारण इंतकाल खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दिनांक 10.5.2016 एवं तहसीलदार झालरापाटन का नामान्तरकरण सं० 73 दिनांक 26.12.2011 वाके ग्राम गुढा अपास्त किया जावे।

- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया एवं अधीनस्थ न्याया० का अभिलेख प्राप्त कर प्रकरण में रेस्पो० क्रम-1 लगायत 3 के उपस्थित नहीं होने पर उनकी तामील पूर्ण मानते हुये बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो० क्रम 4 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा बहस में कथन किया कि विवादित आराजी गलततौर से भूलीबाई,रामाबाई,देवबाई,मुन्नीबाई पिसरान मांगीलाल के दर्ज थी जिस कारण भूलीबाई, रामाबाई ने अपीलांट अशोक, किशोर, रमेश तथा शान्तिलाल के हक में रिलीजडीड पंजीयन कराकर उनका हक त्याग कर दिया किन्तु देवबाई का नाम खाते में चला आया। देवबाई के दिनांक 4.9.08 को फौत होने उपरांत उसका फौती नामा० सं० 73 दि० 26.12.11 रेस्पो० क्रम-1 के नाम तस्दीक किया गया जबकि उसका भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। देवबाई का भूमि में किसी प्रकार से हक अधिकार नहीं था। इस प्रकार नामा० सं० 73 प्रभाव शून्य होने से विक्रय के आधार पर रेस्पो० क्रम-3 कमलेश के पक्ष में तस्दीक किया गया नामा० सं० 94 दिनांक 17.11.2014 भी प्रभावशून्य है। अतः नामा० सं० 73 व नामा० सं० 94 दोनों प्रभाव शून्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.5.2016 व नामा० सं० 94 अपास्त किया जावे।
- 4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 4 ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होना जाहिर करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्यापान अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट क्रम-4 पर मनन किया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांत का मुख्य तर्क है कि देवबाई के फौत होने उपरांत रेस्पोंडेंट क्रम-1 के नाम गलत तौर पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया किन्तु नामां किस प्रकार से गलत है अपीलांत द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं प्रश्नगत अपील प्रकरण में इस तथ्य को साबित नहीं किया है। नामां देवबाई के फौत होने पर फौती इंतकाल तहसीलदार द्वारा उसके जायज वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत अपील प्रकरण में अपीलांत का यह भी तर्क रहा है कि रामलाल ने उसके पिता के खाते की तस्दीक किये गया जमीन पर उसकी बहिन भेरीबाई का नाम बदलियत से दर्ज करा दिया। अपीलार्थीगण का उक्त तर्क समुचित आधार अभिलेख के अभाव में स्वीकार्य नहीं है। तथाकथित नामां सं० 73 से अपीलार्थीगण किस प्रकार प्रभावित है तथा प्रकरण में अपीलांत का क्या हित निहित है प्रश्नगत प्रकरण में स्पष्ट नहीं होता है। हम प्रथम अपीलीय के इस अभिमत से सहमत हैं कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिससे केवल मात्र यह तय होता है कि भूमि का लगान किस व्यक्ति से वसूल किया जाना है—इन्तकाल से पक्षकारान के हक-हकूको का निर्धारण नहीं होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का उक्त अभिमत विधिसम्मत है। उक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 10.5.2016 से खारिज करने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है। लिहाजा: उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 10.5.2016 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नहीं है। फलत् अपील अपीलांत सारहीन होने से खारिज योग्य है।
- 6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा मि०नं० 66/अपील/14 बउनवान अशोक वगोरा बनाम रामलाल आदि में पारित निर्णय दिनांक 10.5.2016 को यथावत रखा जाता है।
- 7 निर्णय आज दिनांक 22.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति०संभागीय आयुक्त
कोटा